न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

सत्र परीक्षण संख्या 414/2021

मु0अ0सं0 103/2021

सरकार बनाम विपिन

अन्तर्गत धारा : 363 भा0दं0सं0

3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट

थाना : हाफिजपुर

जिला : हापुड़ ।

UPHP010035452021

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

पुकार कराई गई । पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त विपिन जेरे जमानत हाजिर आया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध 363 भा0दं0सं0,3(2)(va) एस0सी0 एस0टी0 एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 15.11.2021 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 27.10.2021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड

उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

सत्र परीक्षण संख्या 414/2021

मु0अ0सं0 103/2021

सरकार बनाम विपिन

अन्तर्गत धारा : 363 भा0दं0सं0

3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट

थाना : हाफिजपुर

जिला : हापुड़ ।

UPHP010035452021

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0 एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्त विपिन पर यह आरोप लगाता हूँ कि :–

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 29.05.2021 को समय करीब 19.35 बजे राजपाल का ईख का खेत ग्राम झण्डा मुर्शफपुर बहद थाना हाफिजपुर जिला हापुड से आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की पुत्री पीडिता का विधिपूर्ण संरक्षका से अपहरण कर ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 363 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा की पुत्री पीडिता को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति की सदस्य है, उसका विधिपूर्ण संरक्षकता से अपहरण कर ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 27.10.2021

आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 27.10.2021